संख्या-91/ 2016/ 593(1)/ 23-11-2015-1/ 2(225)/ 15

प्रेषक,

अरविन्द सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता विकास एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

लोक निर्माण अनुभाग-11 लखनऊ: दिनांक 31 मार्च, 2016

विषय:- जनपद मुख्यालय बिजनौर को 04 लेन मार्ग से जोड़ने की योजनान्तर्गत जनपद बिजनौर में बिजनौर-नूरपुर-छजलैट मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य (अन्य जिला मार्ग सं0-57, राज्य मार्ग सं0-76 एवं 12) (लम्बाई 71.125 कि0मी0) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपयुर्क्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ का पत्र सं0-6067नि0/ 110-01नि0/ 2015-16, दिनांक 19-10-2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल जनपद मुख्यालय बिजनौर को 04 लेन मार्ग से जोड़ने की योजनान्तर्गत जनपद बिजनौर में बिजनौर-नूरपुर-छजलैट मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य (अन्य जिला मार्ग सं0-57, राज्य मार्ग सं0-76 एवं 12) (लम्बाई 71.125 कि0मी0) की आंकलित लागत रू0 20080.65 लाख (रूपये दो अरब अस्सी लाख पैसठ हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये लागत के सापेक्ष कुल रू0 600.00 लाख (रूपया छः करोड़ मात्र) की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार तथा शर्तो/ प्रतिबन्धों सहित अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र0 सं0	जनपद	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	वित्तीय वर्ष 2015-16 में आवंटन	अनुदान सं0-58 का अंश	अनुदान सं0-83 का अंश
1	2	3	4	5	6	7
1	बिजनौर	जनपद मुख्यालय बिजनौर को 04 लेन मार्ग से जोड़ने की योजनान्तर्गत जनपद बिजनौर में बिजनौर-नूरपुर-छजलैट मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य (अन्य जिला मार्ग सं0-57, राज्य मार्ग सं0-76 एवं 12) (लम्बाई 71.125 कि0मी0)।	20080.65	600.00	473.00	127.00

(1) उपरोक्त तालिका में अंकित निर्माण कार्य उस समय तक प्रारम्भ न किया जाय और न ही उस पर कोई व्ययभार लिया जाय जब तक कि स्वीकृत लागत के अन्दर कार्य का विस्तृत आगणन गठित कर उस पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्राविधिक

सहायक अभियन्ता

स्वीकृति न प्रदान कर दी जाय। निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत कार्य पूर्व से किसी भी विभाग द्वारा किसी अन्य योजना में स्वीकृत तो नहीं है।

(2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

(3) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता की होगी तथा सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाय।

(4) प्रश्नगत स्वीकृति परिव्यय के अन्तर्गत ही निर्गत की जायेगी।

(5) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/ डाकघर/ पी0एल0ए0 में न रखी जाय।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा। पी0एफ0ए0डी0/ व्यय-वित्त समिति की शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/ मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/ मद में किया जायेगा।

(8) प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम में प्रस्तावित है।

(9) प्रायोजना प्रस्ताव/ आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ना, सड़क की लम्बाई एवं चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में परिवर्तन एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यो की तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर समिति का पुन: अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

(10) प्रायोजना के सम्बन्ध में समस्त वैधानिक अनापत्तियाँ तथा वन एवं पर्यावरण सम्बन्धी अनापत्ति सक्षम वैधानिक प्राधिकारी से प्राप्त करने तथा इस सम्बन्ध में मा0 उच्चतम् न्यायालय के आदेशों का पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(11) परियोजना अन्तर्गत विद्युत पोल व ट्रांसफार्मर की शिफ्टिंग, पेड़ों की कटाई व पुनर्स्थापना तथा अन्य सर्विसेज शिफ्टिंग हेतु एकमुश्त लागत अनुमन्य की गयी है। इन कार्यो हेतु सम्बन्धित विभाग से प्राप्त विस्तृत आगणन पर सक्षम स्तर के अनुमोदन के पश्चात वास्तविक न्यूनतम् धनराशि देय होगी।

(12) अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/ आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही नियमानुसार जमा की जायेगी।

(13) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।

(14) मूल्य ह्रास निधि चार्जेज की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में नियमानुसार जमा करायी जायेगी।

सहायक अभियन्ता
ग्रामीण खण्ड, लो0 नि0 वि0
[illegible]

(15) प्रश्नगत कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-5054-सड़को तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-13-एकमुश्त व्यवस्था-1341-जिला मुख्यालय को चार लेन से जोडे जाने हेतु मार्गो का निर्माण/ चौडीकरण/ सुदृढीकरण के नये कार्य-24-वृहत निर्माण कार्य मद एवं अनुदान सं0-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-5054-सड़को तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-04-जिला तथा अन्य सडके-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-25-जिला मुख्यालय के 04 लेन मार्गों से जोडे जाने हेतु मार्गो के निर्माण/ चौडीकरण/ सुदृढीकरण के कार्य हेतु-24-वृहत निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वहन किया जायेगा तथा उक्त कार्य के नामे डाला जायेगा।

(16) अनुदान संख्या-83 से स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/ उपयोग योजना आयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/ टी0एस0पी0 हेतु निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

2- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-बी-1-2457/ दस-2014-231/ 2014, दिनांक 22-07-2014 के प्रस्तर-2(2) तथा कार्यालय ज्ञाप सं0-2/ 2015/ बी-1-925/ दस-2015-231/ 2015, दिनांक 30-03-2015 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3 के कार्यालय ज्ञाप सं0-बी-3-1840/ दस-2014-100(4)/ 2002-ब0मै0, दिनांक 01-10-2014 के प्राविधानों/ शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-8-960-दस/ 2016, दिनांक 31 मार्च, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-91/ 2016/ 593(1)/ 23-11-2015-1/ 2(225)/ 15-तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार प्रथम् (निर्माण) उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- मण्डलायुक्त, मुरादाबाद मण्डल/ जिलाधिकारी, बिजनौर।
3- मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग लखनऊ।
4- मुख्य अभियन्ता (मुरादाबाद क्षेत्र) लोक निर्माण विभाग, मुरादाबाद।
5- वित्त व्यय (नियंत्रण) अनु0-8/ वित्त आय-व्ययक अनु0-1, उ0प्र0 शासन।
6- समाज कल्याण विभाग, (बजट प्रकोष्ठ), नियोजन, उ0प्र0 शासन।
7- राज्य योजना आयोग-1/ 2, उ0प्र0 शासन।
8- अधीक्षण अभियन्ता नियोजन/ परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
9- लोक निर्माण अनुभाग-1/ 9/ 10/ 12 एवं 14, उ0प्र0 शासन।
10- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
11- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र, लखनऊ।
12- निजी सचिव, मा0 मंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेश प्रताप सिंह)
उप सचिव।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0 नि0 वि0